

डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मांगदारी

जारी की तारीख: 1-3-23

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: 1-3-23

डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

ग्राम का नाम: 2116147

ग्राम पंचायत का नाम: 2116147

ब्लॉक का नाम: 421147

जिला का नाम: 421147

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड:

लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

ग्राम समुदाय की आकांक्षा : 2116147 (संख्या) मवेशी कुड़ों को और ..... (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात ..... घण्टे निर्धारित गुणवत्ता वाले ..... एल.पी.सी.डी. की आपूर्ति वर्ष 24 तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

ग्राम पंचायत संकल्प हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जेम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने अंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

इस संकल्प लिया जाता है कि पूंजी लागत का \_\_\_%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

गुणवत्ता का प्रमाण पी.एच.ई.डी. / आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): 2116147

समिति को क्या कहा जाता है: ग्राम पंचायत एवं स्वच्छता समिति

अध्यक्ष का नाम: अमित कुंवर

सदस्य: महिला

पृष्ठ संख्या: 97

- वर्तमान जनसंख्या - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): \_\_\_\_\_ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) प्रतिम वरण  
 वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): \_\_\_\_\_ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)  
 वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): \_\_\_\_\_  
 कृषि फसल पैटर्न: \_\_\_\_\_

प्रमुख फसलें	बरीक	रबी
गेहूँ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
धान	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
मक्का	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
कपास	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
गन्ना	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
अन्य	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): 1030  
 11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): Hyderabad

#### IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)  
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)  
 13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)  
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)

14.

क्र. सं.	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	क्या वर्षा जल संयोजन संरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	सौख्यता गृहों की उपलब्धता? (हाँ/नहीं)
1.	स्कूल	६१	73	75
2.	आगनवाड़ी	//	//	//
3.	स्वास्थ्य केन्द्र	//	//	//
4.	ग्राम पंचायत भवन	//	//	//
5.	अन्य	//	//	//

का नाम (अवस्थिति): \_\_\_\_\_

मापदंड	तरीका	परिणाम
गंदगी	दृश्य तुलना	
पीएच	पही रंग तुलना	
पूर्ण लवणता	टिट्रीमेट्रिक विधि	
पूर्ण क्षारीयता	टिट्रीमेट्रिक विधि	
क्लोराइड	टिट्रीमेट्रिक विधि	
अमोनिया	दृश्य रंग तुलना	
फास्फेट	दृश्य रंग तुलना	
अवशिष्ट क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना	
आयरन	दृश्य रंग तुलना	
नाइट्रेट	दृश्य रंग तुलना	
फ्लोराइड	दृश्य रंग तुलना	
आर्सेनिक (हॉटस्पॉट में)	दृश्य रंग तुलना	

### कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: \_\_\_\_\_

अवस्थिति का नाम	घरों की संख्या	आबादी
	500	2100

अलग-अलग सोखता गड्डों वाले परिवारों की संख्या: 55  
 उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्डों की आवश्यकता है: 60  
 आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्डों की संख्या: 12  
 क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं): हाँ  
 यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: हाँ  
 यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? गोपी धारा

**जल आपूर्ति योजना**

निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:  
 • अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग  
 • पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके  
 • निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.  
 • शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.  
 • वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.  
 • मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

अभिनिर्धारित जल स्रोत: एचएस 404 तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के  
 आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: जल/47 अ/17

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: \_\_\_\_\_  
 वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: \_\_\_\_\_  
 योजना की लागत: 360 (1/1/2015) भारत सरकार का हिस्सा: 60 राज्य का हिस्सा: 30  
 समुदाय का हिस्सा: 10 व्यक्तिगत घरेलू अंशदान: \_\_\_\_\_  
 वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित  
 योग्यता शुल्क: \_\_\_\_\_

पी.डब्ल्यू.एस.: \_\_\_\_\_

**मेल-जोल**

निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेल-जोल  
 संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
गौदहवां वित्त समयोग	ग्राम पंचायत	ग्रे-वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम आदि।	
स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एस.बी.एम.-जी)	पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय	ग्रे-वाटर मैनेजमेंट-सोखता गड्डे (व्यक्तिगत / सामुदायिक), अपशिष्ट तलछट तालाब आदि।	
एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ	

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित विधि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आर.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एम.पी./ कृत्रिम पुनर्माण, जल निकासी का निर्माण/ वृद्धि आदि।	
जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म-सिंचाई का प्रावधान, एक्वीफर्स से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, वाटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एम. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.फ)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतःग्राम अवसंरचना	
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
अध्यक्ष/आयोजक			

	नाम	मोबाइल नं०
1	निरंजन देवी	
2	रचना भारती	
3	रशमा भारती	
4	स्वप्ना गौतम	
5	सुमिता देवी	